04/8/17

नीलामी की सूचना

पुलिस लाइन लखीमपुर खीरी के स्टोर रूम में निष्प्रयोज्य घोषित राजकीय सम्पत्ति/उपकरणो एवं जीर्ण–शीर्ण 187 वर्दी किटों की वस्तुओं की सार्वजनिक नीलामी की जानी है, जिन्हें पुलिस लाइन्स लखीमपुर खीरी में देखा जा सकता है। दिनांक 10/8/17 को पुलिस लाइन्स लखीमपुर खीरी के परिसर में जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी लाइन्स, प्रतिसार निरीक्षक, रेडियो निरीक्षक पुलिस लाइन खीरी तथा उप निरीक्षक परिवहन पुलिस लाइन खीरी की उपस्थिति में नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही उच्चतम बोली के आधार पर समय प्रातः 12:00 बजे सम्पादित की जायेगी। निष्प्रयोज्य घोषित राजकीय सम्पति/उपकरणो एवं जीर्ण–शीर्ण 187 वर्दी किटों की वस्तुओं को खरीदने के इच्छुक ठेकेदार उक्त निर्धारित तिथि व समय में उपस्थित होकर बोली में भाग ले सकते हैं। उच्चतम बोली वाले के पक्ष में नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। नीलामी के उपरान्त उससे प्राप्त धनराशि प्रतिसार निरीक्षक लखीमपुर खीरी द्वारा आंकिक लखीमपुर खीरी के पास जमा कराना होगा। आंकिक नीलामी से प्राप्त धनराशि कोषागार में जमा कराकर सी0ओ0 नम्बर व तिथि से अवगत करायेंगें। खरीददार को उक्त अधिकारी की उपस्थिति में प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार निष्प्रयोज्य घोषित राजकीय सम्पत्ति/उपकरणो एवं जीर्ण–शीर्ण 187 वर्दी किटों की वस्तुओं को उठाने आदि की कार्यवाही करनी होगी।

पत्रांक न–02/2017
दिनांकः अगस्त 02,2017

4/8/17
पुलिस अधीक्षक
खीरी.।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को इस अनुरोध के साथ कि वह नामित मजिस्ट्रेट को निर्धारित तिथि पर पुलिस लाइन्स लखीमपुर खीरी पहुचकर उक्त नीलामी को सम्पादित कराने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अपर पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी लखीमपुर खीरी को इस अनुरोध के साथ कि उक्त नीलामी को नेट पर प्रदर्शित कर सूचना का प्रचार–प्रसार करने का कष्ट करें।
4. क्षेत्राधिकारी लाइन्स लखीमपुर खीरी को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि पर पुलिस लाइन्स लखीमपुर खीरी पहुँचकर उक्त नीलामी को नियमानुसार सम्पन्न करायेंगें।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/समस्त सेनानायक लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ
6. प्रतिसार निरीक्षक लखीमपुर खीरी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त अधिकारियों के पर्यवेक्षण में नीलामी की कार्यवाही नियमानुसार कराकर, उससे प्राप्त धनराशि आंकिक में जमा करायें।
7. आंकिक लखीमपुर खीरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को अपने–अपने थाना क्षेत्र में प्रचार प्रसार हेतु।
9. दफ्तरी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।